2022/12

फर्द अहकाम
(नियम 26)

2022/11

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री कान्तिलाल उपाध्याय जाति उपाध्याय निवासी ब्रह्मपुरी गोहल्ला सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं.05 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.01.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 16.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सांतपुर आबूरोड के पंचायत कोरम के सरपंच / उपसरपंच / वार्ड सदस्यों द्वारा दिनांक 12.07.2021 को अपीलांट के विरूद्ध मिथ्या व झूठी शिकायत करने एवं विकास कार्य बाधित करने बाबत जिला कलक्टर सिरोही को ज्ञापन दिया था। उक्त ज्ञापन की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 16.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सांतपुर आबूरोड के पंचायत कोरम के सरपंच / उपसरपंच / वार्ड सदस्यों द्वारा दिनांक 12.07.2021 को अपीलांट के विरूद्ध मिथ्या व झूठी शिकायत करने एवं विकास कार्य बाधित करने बाबत जिला कलक्टर सिरोही को ज्ञापन दिया था। उक्त ज्ञापन की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया गया कि उपरोक्त सूचना के लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उक्त पत्रावली कार्यालय जिला परिषद सिरोही से सम्बन्धित होने से जरिए पत्र क्रमांक 607 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा कार्यालय जिला [illegible]ही को स्थानान्तरित. कर दी है, जिसकी प्रति जरिए प[illegible]लांट को भेजकर सूचित कर दिया [illegible] सिरोही के अपील अधि[illegible] जिला कलक्टर सिरोही नही है। अतः [illegible]पीलांट की अपील खारिज [illegible] जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:59:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner